राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 11.02.2015

परिपत्र-11

भामाशाह योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों के नगद एवं गैर-नगद लाभ जन सामान्य को हस्तातंरण करने हेतु सम्बधित विभागीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व डाटाबेस को भामाशाह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एकरुप (**integrate**) किया जाना है। इसके लिये निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाएगाः-

1. विभागों द्वारा विभागीय डाटा बेस मे भामाशाह रेजीडेण्ट डाटा हब [BRDH] से आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या व अन्य आवश्यक सूचनाओ की सीडिंग [Seeding] की जाएगी। इस प्रक्रिया की मार्गदर्शिका सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पत्र क्रमाक F.5(493)/DoIT/Tech/11/I/28752/2015 दिनांक 10.02.2015 द्वारा जारी की गई है।
2. प्रतिमाह 30 तारीख तक होने वाली सीडिंग के आधार पर ऐसे लाभार्थियों को अगले माह लाभ हस्तान्तरण विभागीय साफ्टवेयर /आई एफ एम एस [IFMS] के माध्यम से किया जाएगा।
3. विभागीय डाटा बेस/सॉफ्टवेयर एंव भामाशाह रेजीडेण्ट डाटा हब [BRDH] में एकरूपता स्थापित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः-
   3.1 वर्तमान में प्रचलित विभागीय सॉफ्टवेयर में सीडिंग के माध्यम से समयबद्व रुप से भामाशाह रेजीडेण्ट डाटा हब [BRDH] से एकरुपता स्थापित की जाएगी।
   3.2 भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त विभागीय साफ्टवेयर मे परिवार/व्यक्ति की पहचान एवं पात्रता भामाशाह रेजीडेन्ट डाटा हब [BRDH] से ही प्राप्त की जाएगी।
4. इस प्रकार भामाशाह पहचान आधार पर किये जाने वाले लाभ हस्तान्तरण की सूचना विभागीय साफ्टवेयर/आई एफ एम एस से भामाशाह साफ्टवेयर को ऑनलाईन प्रदत की जाएगी।
5. लाभार्थी द्वारा अपने बैंक खाते से राशि निकालने की सूचना बैंक द्वारा भामाशाह एप्लीकेशन को ऑनलाईन उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके आधार पर बैक को देय सेवा राशि का भुगतान किया जाएगा।
6. भामाशाह प्लैटफार्म के अतंर्गत विभिन्न प्रणालियों के दायित्व एवं सूचना सम्प्रेषण निम्नानुसार रहेंगें-
   6.1 **लाभार्थी की पहचान एवं पात्रता** - भामाशाह डेटा हब के द्वारा सुनिश्चित कर विभागीय एप्लीकेशन से सीडिंग के माध्यम से जोडी जाएगी।

6.2 **लाभ की स्वीकृती** – विभागीय एप्लीकेशन द्वारा लाभार्थी के खाते मे लाभ के हस्तातंरण हेतु स्वीकृति ऑनलाईन प्राप्त कर, आई एफ एम एस अथवा विभागीय एप्लीकेशन के द्वारा उक्त सूचना ऑनलाईन भामाशाह एप्लीकेशन को प्रदत्त की जाएगी।

6.3 **लाभार्थी द्वारा लाभ प्राप्त करना** – लाभार्थी द्वारा पॉइन्ट ऑफ सर्विस (यथा बैंक, एटीएम, ई–मित्र, राशन की दुकान इत्यादि) से लाभ प्राप्त किया जाएगा तथा बैंक/ई–मित्र/विभागीय एप्लीकेशन से ऑनलाईन रसीद की सूचना भामाशाह एप्लीकेशन को उपलब्ध करायी जाएगी।

6.4 उपरोक्तानुसार ऑनलाईन एकीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर [Digital Signature] अथवा बायोमैट्रिक सत्यापन [Bio-Metric authentication] के माध्यम से किया जाएगा।

विभागीय साफ्टवेयर, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली [IFMS] एवं कोर बैंकिग एप्लीकेशन भामाशाह प्लैटफार्म के अभिन्न अंग के रूप मे कार्य करेंगे तथा एक दूसरे से ऑनलाईन सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। समस्त राजकीय विभाग, उपक्रम तथा बैंकिग पार्टनर, सूचना प्रौधौगिकी एवं सचांर विभाग के तकनीकी निर्देशन मे अपनी विभागीय प्रणाली, भामाशाह प्लैटफार्म से एकीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजथान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान। 7(A). निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
8. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
9. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लि., जयपुर, राजस्थान।
10. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
11. महाप्रबन्धक(वित्तीय समावेशन), समस्त बैंक।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
13. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना